अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2018 (RCMS 2018/00092) नवरंगलाल प्रजापत, निवासी माँ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, दुगड़ विद्यालय रोड़, सरदारशहर, जिला चुरू (राज.) – 331403 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.06.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नवरंगलाल प्रजापत एवं अप्रार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी का जवाब शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2018 जो उसने दिनांक 22.03.2018 को पंजीकृत डाक से भिजवाया से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो उसे नियत अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई इसलिए उसने अपील स्वीकार करने और लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 250/– रूपये प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा मानसिक संता के लिए भारी क्षतिपूर्ति दिलवाने की प्रार्थना की है और साथ की सूचनाएं निःशुल्क एवं प्रमाणित शुदा जरिए स्पीट पोस्ट के माध्यम से चाही है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी नवरंगलाल प्रजापत ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2018 (22.03.2018) के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैसर्स नागपाल ऑयल कम्पनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन डीलर, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान के निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करवाने का श्रम करावें :

ए. आपके द्वारा जारी किया गया अनुज्ञापत्र (दो प्रमाणित प्रतियों में)

बी. विस्फोटक विभाग अनुज्ञप्ति मय नवीनीकरण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रतियों में)।

सी. वर्तमान में उक्त फर्म की वर्ष 2012 से 2018 तक विस्फोटक अनुज्ञप्ति एवं स्नेहक अनुज्ञप्ति कब–कब नवीनीकृत हुई? (दो प्रमाणित प्रतियों में)

कृपया वांछित सूचनायें धारा 7(9) का अनुसरण करते हुए जिस रूप में चाही गई है उसी रूप में बिना किसी विलम्ब के अविलम्ब उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 7031 दिनांक 12.06.2018 से अपीलार्थी एवं इस कार्यालय को निम्न प्रकार से उत्तर दिया है :

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 में लाईसैंस नम्बर अंकित नहीं किया जिसके अभाव में आवेदक द्वारा वांछित लाईसैंस की सूचना दी जानी सम्भव नहीं थी।

बिन्दु संख्या 2 व 3 में आवेदन पत्र द्वारा विस्फोटक विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण की सूचना चाही गई, इस प्रकार आ अनुज्ञापत्र तथा नवीनीकरण पेट्रोल पम्प धारक द्वारा स्वयं अपने स्तर पर लिया जाता है। विस्फोटक अनुज्ञापत्र की प्रति लाईसैंसधारी द्वारा इस कार्यालय में अनुज्ञापत्र लेने के वक्त ही दिया जाता है। आवेदक द्वारा लाईसैंस नम्बर अंकित न करने के कारण सूचना तलाश कर आवेदक को उपलब्ध

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

करवाना सूचना के अधिकार के अन्तर्गत वर्जित है। विस्फोटक का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण पैट्रोल पम्प संचालक द्वारा अपने स्तर पर करवाया जाता है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को नहीं दी जाती है।

इस प्रकार आवेदन द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 3 पैट्रोल पम्प संचालक द्वारा देय होने के कारण उन्हें आवेदक को सूचना देने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या 4731 दिनांक 11.04.2018 द्वारा भिजवाकर प्रति प्रार्थी को भी दी गई थी।

उक्त बिन्दु संख्या 01 की सूचना में अपीलार्थी ने उक्त मैसर्स नागपाल ऑयल कम्पनी के नाम से जारी अनुज्ञा पत्र की प्रति चाही है, जिसके सम्बन्ध में दिया गया उत्तर सही प्रतीत नहीं होता है, चूंकि अनुज्ञा पत्र, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा ही जारी किया गया है। इसलिए लाईसेंस नम्बर के अभाव में वे उक्त फर्म के नाम से देख कर उपलब्ध करवा सकते है। जहां तक बिन्दु संख्या 2 व 3 का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में दिया गया उत्तर सही है क्योंकि उक्त सूचना में चाहा गया विस्फोटक अनुज्ञा पत्र एवं उसका नवीनीकरण पैट्रौल पम्प संचालक द्वारा अपने स्तर से ही करवाया जाता है, इसलिए बिन्दु संख्या 2 व 3 का दिया गया उत्तर सही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवायें। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर